

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 84 / 2025

वाद पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

1. गोरधन राम पुत्र गाजीराम जाति जाट निवासी 20 एमजेडी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप राम पुत्र गाजीराम जाति जाट निवासी 20 एमजेडी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. शंकरपुरी पुत्र छजुपुरी
2. रजीराम पुत्र दलाराम
3. जोतराम पुत्र दलाराम
4. राजेश पुत्र बृजलाल पुत्र दलाराम
5. तहसीलदार राजस्व संगरियां

जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 17.9.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 20 एमजेडी के खाता संख्या 37/26 में कुल 2.768 हैक्टेयर मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :-

1. गोरधनराम, दलीपराम, पि. गाजीराम बहिब जाति जाट साकिन धौलीपाल हाल आबाद चक 20 एमजेडी

पुत्थर नम्बर	मुख्बा नम्बर	किला नम्बर
96/189	66	4 ता 7, 14, 15/1.518 है.
96/190	72	15/0.253 है.
97/189	67	11, 20/0.506 है.
97/190	71	11,12/0.506 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3404 दिनांक 19.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुख्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.9.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया